न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी – रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21/2019	04/06/2019	07/04/2025

मंजू मीणा पत्नि मदनलाल जाति मीणा निवासी रौण हाल निवास बी–21–बी गायत्री विहार बजरंग नगर कोटा जिला कोटा राज,

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक 07/04/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम–फुसोद, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज. में स्थित है। खसरा नम्बर 905 रकबा 1.60 हैक्टर नहरी प्रथम भुमि स्थित है। जिसे वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है। यह कि विवादित आराजी वादी के खाते की आराजी है जिसमें वादी का नाम मनभर बाई पत्नी मदनलाल के नाम से रिकार्ड में दर्ज है तथा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में त्रुटिपूर्वक मंजु मीणा के स्थान पर मनभर दर्ज हो रहा है इसके कारण वादी को कृषि विकास कार्यो को करवाने में काफी परेशनी का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह इन्द्राज दुरुस्ती करवाये तथा वादी का नाम मनभर के स्थान पर मंजू मीणा दर्ज करवाये। यह कि वादी का नाम मंजू मीणा के स्थान पर मनभर दर्ज हो जाने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने प्रतिवादी से कई बार राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को दुरुस्त करने बाबत निवेदन किया किन्तु उन्होने कोई ध्यान नही दिया टाल मटोल किया, उन्होने कोई कार्यवाही नहीं की तथा दिनांक 19–5–2019. को अन्तिम बार निवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया। इस कारण माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह कि वाद कारण विवादित आराजी वादी द्वारा दिनांक 19–5–2019 को प्रतिवादी से वादी का नाम दुरुस्त करने का निवेदन करने तथा प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी का रकबा दुरुस्त करने से इंकार करने व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु आदेर्शित करने पर उत्पन्न हुआ।

यह कि विवादित आराजी ग्राम फूसोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में स्थित खसरा नम्बर 905 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि वादी का नाम मनभर के स्थान पर मंजू मीणा दर्ज किया जावे, तथा वादी को मंजू मीणा के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री पुष्पेन्द्र सिंह हाडा ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)

की तलबी जर्ये सम्मन की गई। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार हेतु नियत की गई। पत्रावली में जवाब सरकार प्राप्त हुआ शामिल पत्रावली है। वादी की ओर से साक्ष्य वादी शपथ पत्र पेश किए शामिल पत्रावली है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियों में वादी का नाम मंजु मीणा दर्ज है तथा जवाब सरकार में भी प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं पटवारी हलका शहनावदा से तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर नाम में संशोधिन किया जाना उचित होगा। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम फूसोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में स्थित खसरा नम्बर 905 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि वादी का नाम मनभर के स्थान पर मनभर उर्फ मंजू मीणा दर्ज किया जावे, तथा वादी को मनभर उर्फ मंजू मीणा के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा तदनुसार डिक्री जारी की जावे।

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
21 / 2019	04 / 06 / 2019	07 / 04 / 2025

मंजू मीणा पत्नि मदनलाल जाति मीणा निवासी रौण हाल निवास बी–21–बी गायत्री विहार बजरंग नगर कोटा जिला कोटा राज,

वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक– 07/04/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री पुष्पेन्द्र हाडा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू.................. मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम फूसोद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में स्थित खसरा नम्बर 905 रकबा 1.60 हैक्टर भूमि वादी का नाम मनभर के स्थान पर मनभर उर्फ मंजू मीणा दर्ज किया जावे, तथा वादी को मनभर उर्फ मंजू मीणा के नाम से खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। इसी अनुरूप अमल दरामद किया जावें। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 07/04/25 को जारी किया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत०			मुत०		

Ramniwas

सहायक कलक्टर

इटावा जि० कोटा (राज०)

मिलान			मिलान		

Ramniwas

सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा

सहायक कलक्टर
इटावा जि० कोटा (राज०)